

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश भोपाल
(शाखा- भू प्रबंध)

सी-ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं.-2, वन भवन, तुलसी नगर, भोपाल-462003

क्रमांक/एफ-5/1211/E file-0107/2025/

दिनांक, ई साइन

प्रेषक:-

एच. एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड नं; 3, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- बैतूल एवं होशंगाबाद (नर्मदापुरम) जिले में जुझारपुर से ढोढरामोहार के मध्य तीसरी रेलवे लाईन के निर्माण हेतु उत्तर बैतूल वन मण्डल की 1.2496 हेक्टेयर वनभूमि एवं होशंगाबाद वन मण्डल की 6.7861 हेक्टेयर कुल 8.0357 हेक्टेयर वनभूमि सेन्ट्रल रेलवे, नागपुर डिवीजन बैतूल को उपयोग पर देने बाबत। ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/RAIL/150074/2021

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रमांक/ 6-MPR 027/2023-BHO दिनांक 13.10.2025

--0--

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, संदर्भित पत्र के द्वारा प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत हुए उल्लंघन पर विस्तृत प्रतिवेदन भेजने हेतु निर्देश दिए गए हैं।

प्रकरण में वन मण्डल अधिकारी, उत्तर बैतूल द्वारा प्रकरण में हुए उल्लंघन के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन भेजकर ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

अतः प्रकरण में चाहे अनुसार जानकारी की पूर्ति हो गई है। सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

Digitally signed by
Hari Shankar Mohanta
Date: 18-12-2025
10:44:11

(एच.एस. मोहन्ता)

प्रतिलिपि:-

- 1- वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, नर्मदापुरम/ उत्तर बैतूल, मध्यप्रदेश।
 - 2- उप मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेलवे नागपुर डिवीजन, बैतूल, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यालय वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

07141-234204(कार्यालय), E-Mail :- dfotnbtul@mp.gov.in

क्रमांक/मा0चि0/2025/1854

बैतूल, दिनांक/ 17/12/2025

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू-प्रबंध)
म.प्र. भोपाल

विषय :- बैतूल एवं होशंगाबाद (नर्मदापुरम) जिले में जुझारपुर से ढोढरामोहर के मध्य तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु 8.0357 हे. आरक्षित एवं संरक्षित वनभूमि (1.2496 हे. उत्तर बैतूल एवं 6.7861 हे. होशंगाबाद वनमंडल) उप मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेल्वे नागपुर को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/एफ-5/1211/E.File-107/2025 दिनांक 04.11.2025

--00--

विषयांतर्गत निवेदन है कि आपके संदर्भित पत्र के साथ संलग्न भारत सरकार के पत्र दिनांक 13.10.2025 में उल्लेखित अनुसार विषयांकित प्रकरण में रेल्वे विभाग की ओर से वनमंडल कार्यालय में दिनांक 17.12.2025 को उपस्थित कार्यपालन यंत्री (निर्माण) बैतूल द्वारा रेल्वे के स्वामित्व के संबंध में वर्ष—1986 का ROW मानचित्र प्रस्तुत किया गया। उक्त मानचित्र का अवलोकन किया गया। अवलोकन में डाउन ट्रेक साईड में सबवे निर्माण कार्य ROW में होना पाया गया तथा अप ट्रेक साईड में 3 मीटर चौड़ाई एवं 122 मीटर लंबाई में अनाधिकृत रूप से वनभूमि पर मार्ग निर्माण होना पाया गया।

उपरोक्तानुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के फलस्वरूप निर्धारित संक्षेपिका में विस्तृत विवरण मय आवश्यक अभिलेखों के संयुक्त हस्ताक्षरित कर संलग्न सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(नवीन गर्ग)

भा.व.से.

वनमण्डलाधिकारी

उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

बैतूल, दिनांक/ 17/12/2025

पृ.क्रं./मा.चि./2025/1855

- प्रतिलिपि :-
- 1- वन संरक्षक बैतूल वृत्त बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
 - 2- उप मुख्य अभियंता (निर्माण), मध्य रेल्वे नागपुर डिवीजन बैतूल, म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनमंडलाधिकारी

उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

-: संक्षेपिका :-

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत उल्लंघन बाबत प्रकरण का विस्तृत विवरण

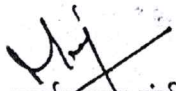
1	परियोजना का नाम	बैतूल एवं होशंगाबाद (नर्मदापुरम) जिले में जुझारपुर से ढोढरामोहर के मध्य तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु 8.0357 हे. आरक्षित एवं संरक्षित वनभूमि (1.2496 हे. उत्तर बैतूल एवं 6.7861 हे. होशंगाबाद वनमंडल) उप मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेल्वे नागपुर को उपयोग पर देने बाबत ।(FP/MP/RAIL/150074/2021)
2	वनक्षेत्र का विवरण	परिक्षेत्र भौरा, बीट धार कक्ष क्रमांक - RF. - 157
3	उल्लंघन हेतु कार्य स्वीकृति देने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं स्वीकृति आदेश की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपी ।	रेल्वे विभाग द्वारा उल्लंघन हेतु कार्य स्वीकृति देने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम निम्नानुसार बताया गया :- 1.- सचिन गनेर (तत्कालिन वरिष्ठ मंडल अभियंता, उत्तर, नागपुर)
4	कार्य क्रियान्वीत करने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम ।	रेल्वे विभाग द्वारा कार्य क्रियान्वीत करने वाले अधिकारी / कर्मचारी का नाम निम्नानुसार बताया गया :- 1.- रजनीश कुमार (तत्कालिन सहायक मंडल अभियंता, बैतूल)
5	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही एवं अभिलेखों की सत्य प्रतिलिपी ।	1.- भारत सरकार पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल के पत्र दिनांक 19.02.2025 (प्रदर्श-1) से प्रकरण में ली गई आपत्ती के बिंदु क्रमांक - 4 के परिपालन में वनमंडल कार्यालय के आदेश क्रमांक / माचि. / 2025 / 02 दिनांक 11.04.2025 (प्रदर्श-2) से प्रश्नाधीन स्थल का मौका स्थल निरीक्षण कर जांच कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु समिति का गठन किया गया । 2.- गठित समिति के साथ दिनांक 03.05.2025 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा रेल्वे विभाग के प्रतिनिधी वरिष्ठ खंड अभियंता बैतूल के साथ रहकर उक्त क्षेत्र का निरीक्षण किया गया । मौका पंचनामा की छायाप्रति संलग्न है (प्रदर्श-3) । निरीक्षण के दौरान पुरानी रेल्वे लाईन सहित पट्टी के दोनो ओर Subway तथा दोनो पहुंच मार्ग की चौड़ाई 58 मीटर तथा Subway के दोनो तरफ पहुंच मार्ग की चौड़ाई पुरानी रेल्वे पट्टी सहित 57.9 मीटर तथा रेल्वे पट्टी के पूर्व दिशा में पहुंच मार्ग के प्रारम्भिक में 4 मीटर वनक्षेत्र के अंदर तथा दूसरी दूसरी तरफ पश्चिम दिशा में पहुंच मार्ग में प्रारंभ में 6.4 मीटर वनक्षेत्र में अंदर निर्माण होना पाया गया ।

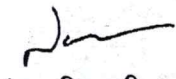
	3.- उपरोक्तानुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये ROW क्षेत्र के अंतर्गत नक्शे एवं भूमि के स्वामित्व से संबंधित वैधानिक दस्तावेज वनमंडल कार्यालय को प्रस्तुत करने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक / माचि./ 2025 / 3071 दिनांक 07.05.2025 (प्रदर्श-4) से उप मुख्य अभियंता, (निर्माण) सेंट्रल रेल्वे नागपुर डिवीजन बैतूल को लेख किया गया। 4.- आवेदक विभाग के पत्र दिनांक 08.05.2025 (प्रदर्श-5) से प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार कोई वैधानिक अभिलेख वनमंडल कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराये गये एवं लेख किया गया कि Open Line Organization of the Railway इस संबंध में पृथक से अवगत करायेगे। तदनुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक / माचि. / 2025 / 3362 दिनांक 20.05.2025 से प्रतिवेदन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल को प्रेषित किया गया (प्रदर्श-6)। 5.- आवेदक विभाग के पत्र क्रमांक / ET-NGP/3rd Line/Forest date 30.07.2025 (प्रदर्श-7) से जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसमें रेल्वे विभाग द्वारा सबवे निर्माण के दौरान अंजाने में उल्लंघन होना लेख किया गया है और इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं है यह भी रेल्वे विभाग द्वारा लेख किया गया है। रेल्वे विभाग से उक्त प्राप्त प्रतिवेदन कार्यालयीन पत्र क्रमांक / 1344 दिनांक 13.08.2025 से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल को प्रेषित किया गया (प्रदर्श-8)। 6.- रेल्वे विभाग के प्रदर्श-7 में उल्लेखित पत्र के तारतम्य में ROW क्षेत्र के नक्शे एवं भूमि के स्वामित्व से संबंधित वैधानिक दस्तावेज वनमंडल कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक / 6760 दिनांक 14.10.2025 से मुख्य अभियंता, (निर्माण) सेंट्रल रेल्वे नागपुर डिवीजन बैतूल को लेख किया गया (प्रदर्श-9)। 7.- रेल्वे विभाग से दिनांक 17.12.2025 को वनमंडल कार्यालय में उपस्थित कार्यपालन यंत्री (निर्माण) बैतूल द्वारा वर्ष – 1986 का ROW मानचित्र प्रस्तुत किया गया (प्रदर्श-10)। उक्त मानचित्र का अवलोकन किया गया। डाउन ट्रेक साईड में सबवे निर्माण कार्य ROW में होना पाया गया तथा अप ट्रेक साईड में 3 मीटर चौड़ाई एवं 122 मीटर लंबाई में अनाधिकृत रूप से वनभूमि पर मार्ग निर्माण होना पाया गया। 8.- उपरोक्तानुसार वनभूमि पर कुल 0.0366 हे. में रेल्वे विभाग द्वारा मार्ग निर्माण कराया जाना पाया गया। उक्त प्रभावित वनभूमि 0.0366 हे. में नेट प्रजेन्ट वेल्यू की गणना किये जाने पर राशि रुपये 44966/- होती है। इसी प्रकार प्रभावित वनभूमि 0.0366 हे. में उल्लंघन के फलस्वरूप 10 गूना दंडिक वृक्षारोपण हेतु 0.366 हे. रकबा होता है।
--	---

6	उल्लंघन अवधि के दौरान वनरक्षक से वनमंडलाधिकारी स्तर तक के नाम एवं पदस्थापना अवधि।	उल्लंघन अवधि के दौरान वनरक्षक से वनमंडलाधिकारी स्तर तक के नाम एवं पदस्थापना अवधि निम्नानुसार है :- <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.</th><th>कर्मचारी/अधिकारी का नाम</th><th>पदस्थिति अवधि</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>श्री रामकिशन गुर्जर, व.पा., बी.गा. धार</td><td>21.09.21 से 11.12.23</td></tr> <tr> <td>2</td><td>श्री राजेन्द्र तिवारी, व.पा., प.स. धार</td><td>16.11.21 से 21.07.25</td></tr> <tr> <td>3</td><td>श्री डी.पी. गोस्वामी, व.क्षे., प.अ. भौरा (सा.)</td><td>30.09.19 से 19.11.22</td></tr> <tr> <td>4</td><td>श्री एस.एस. राजपुत, व.क्षे., प.अ. भौरा (सा.)</td><td>19.11.22 से 06.12.23</td></tr> <tr> <td>5</td><td>श्री ए.के. हनवते, उपवनमंडलाधिकारी, शाहपुर (सा.)</td><td>13.08.21 से 30.06.21</td></tr> <tr> <td>6</td><td>श्री राकेश कुमार डामोर, वनमंडलाधिकारी, उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल</td><td>04.04.22 से 21.06.23</td></tr> </tbody> </table>	क्र.	कर्मचारी/अधिकारी का नाम	पदस्थिति अवधि	1	श्री रामकिशन गुर्जर, व.पा., बी.गा. धार	21.09.21 से 11.12.23	2	श्री राजेन्द्र तिवारी, व.पा., प.स. धार	16.11.21 से 21.07.25	3	श्री डी.पी. गोस्वामी, व.क्षे., प.अ. भौरा (सा.)	30.09.19 से 19.11.22	4	श्री एस.एस. राजपुत, व.क्षे., प.अ. भौरा (सा.)	19.11.22 से 06.12.23	5	श्री ए.के. हनवते, उपवनमंडलाधिकारी, शाहपुर (सा.)	13.08.21 से 30.06.21	6	श्री राकेश कुमार डामोर, वनमंडलाधिकारी, उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल	04.04.22 से 21.06.23
क्र.	कर्मचारी/अधिकारी का नाम	पदस्थिति अवधि																					
1	श्री रामकिशन गुर्जर, व.पा., बी.गा. धार	21.09.21 से 11.12.23																					
2	श्री राजेन्द्र तिवारी, व.पा., प.स. धार	16.11.21 से 21.07.25																					
3	श्री डी.पी. गोस्वामी, व.क्षे., प.अ. भौरा (सा.)	30.09.19 से 19.11.22																					
4	श्री एस.एस. राजपुत, व.क्षे., प.अ. भौरा (सा.)	19.11.22 से 06.12.23																					
5	श्री ए.के. हनवते, उपवनमंडलाधिकारी, शाहपुर (सा.)	13.08.21 से 30.06.21																					
6	श्री राकेश कुमार डामोर, वनमंडलाधिकारी, उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल	04.04.22 से 21.06.23																					
7	प्रकरण की संक्षिप्त टीप	रेल्वे विभाग से दिनांक 17.12.2025 को वनमंडल कार्यालय में उपस्थित कार्यपालन यंत्री (निर्माण) बैतूल द्वारा वर्ष - 1986 का ROW मानचित्र प्रस्तुत किया गया। उक्त मानचित्र का अवलोकन किया गया। डाउन ट्रेक साईड में सबवे निर्माण कार्य ROW में होना पाया गया तथा अप ट्रेक साईड में 3 मीटर चौड़ाई एवं 122 मीटर लंबाई में अनाधिकृत रूप से वनभूमि पर मार्ग निर्माण होना पाया गया। उपरोक्तानुसार वनभूमि पर कुल 0.0366 हे. में रेल्वे विभाग द्वारा मार्ग निर्माण कराया जाना पाया गया। उक्त प्रभावित वनभूमि 0.0366 हे. में नेट प्रजेन्ट वेल्यू की गणना किये जाने पर राशि रुपये 44966/- होती है। इसी प्रकार प्रभावित वनभूमि 0.0366 हे. में उल्लंघन के फलस्वरूप 10 गुना दांडिक वृक्षारोपण हेतु 0.366 हे. रकबा होता है।																					
8	वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन के परिपेक्ष्य में क्षेत्र में हुआ कार्य एवं कार्य की वर्तमान स्थिति।	रेल्वे विभाग से दिनांक 17.12.2025 को वनमंडल कार्यालय में उपस्थित कार्यपालन यंत्री (निर्माण) बैतूल द्वारा वर्ष - 1986 का ROW मानचित्र प्रस्तुत किया गया। उक्त मानचित्र का अवलोकन किया गया। डाउन ट्रेक साईड में सबवे निर्माण कार्य ROW में होना पाया गया तथा अप ट्रेक साईड में 3 मीटर चौड़ाई एवं 122 मीटर लंबाई में अनाधिकृत रूप से वनभूमि पर मार्ग निर्माण होना पाया गया।																					

संलग्न :-

प्रदर्श - 01 से 10


कार्यपालन यंत्री
(निर्माण) मध्य रेल, बैतूल - II


वनमंडलाधिकारी
उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल

प्रदर्श-1

E office-01/07/2025

431528



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE

क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल / REGIONAL OFFICE, BHOPAL

Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar,

BHOPAL - 462016 (M.P.)

TEL: 0755-2466525 E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in



क्रमांक: 6-एमपीआर 027/2023-बीएचओ/
प्रति,

दिनांक : /02/2025

प्रधान सचिव (वन)

मध्यप्रदेश शासन,

वृत्तम भवन, भोपाल (मध्यप्रदेश) ।

विषय: बैतूल एवं होशंगाबाद (नर्मदापुरम) जिले में जुझारपुर से ढोडरामोहार के मध्य रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु 8.0357 हेक्टेयर आरक्षित एवं संरक्षित वनभूमि (1.2496 हे. उत्तर बैतूल एवं 6.7861 हे. होशंगाबाद वनमण्डल) उप मुख्य अभियंता (निर्माण), मध्य रेल्वे नागपुर को उपयोग पर देने बाबत (FP/MP/RAIL/150074/2021) ।

संदर्भ: 1. नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश का पत्रांक एफ-5/1211/2023/10-11/274 दिनांक 21/01/2025.

2. आर.ई.सी. कार्यवृत्त क्र. 6-REC10/2014-BHO/Part-III/354 दिनांक 13/02/2025.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव से संबंधित आर.ई.सी. बैठक दिनांक 30/01/2025 को आयोजित की गयी । बैठक में लिये गये निर्णय एवं कार्यवृत्त दिनांक 13/02/2025 (संदर्भित पत्र-2) अनुसार अन्य वांछित जानकारी/स्पष्टीकरण की आवश्यकता है जो कि निम्नलिखित है:-

1. The State Govt. has informed that the patches in forest areas which were not included in the proposed diversion area are of the Railway ownership but no documentary evidences have been produced before the committees. The User Agency shall submit documentary evidence which proves that the said patches are under Railway ownership and have been in their possession since before 1989, when Indian Railway Act came into force.
2. The User Agency shall submit the extent of area proposed to the NBWL and status of Wildlife Clearance.
3. The User Agency shall submit NoCs from NHAI for the places where it is crossing the railway alignment through RoBs.
4. In the DSS analysis, it is observed that the coordinate 22° 21' 19.83"N, 77° 50' 49"E, subway has been recently constructed which is in the proposed diversion area hence the concerned DFO shall inspect and submit a detailed report in the matter.

Signed by Yogesh Gairola

Date: 19-02-2025 09:41:06

(डॉ. योगेश गैरोला)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि:

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, वन भवन, तुलसीनगर, भोपाल ।

वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल द्वारा पारित आदेश

07141-234204 (कार्यालय), E-Mail -- dfotnbtul@mp.gov.in

आदेश क्रमांक/मा0चि0/2025 / 02

बैतूल, दिनांक/ 11-4-25

बैतूल एवं होशंगाबाद (नर्मदापुरम) जिले में जुझारपुर से ढोढरामोहार के मध्य तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु उत्तर बैतूल वनमंडल की 1.2496 हे. वनभूमि एवं होशंगाबाद वनमंडल की 6.7861 हे. कुल 8.0357 हे. वनभूमि सेन्ट्रल रेल्वे नागपुर डिवीजन बैतूल को उपयोग पर देने के संबंध में आनलाईन प्राप्त प्रकरण क्रमांक /FP/MP/RAIL/150074/2021 में भारत सरकार के पत्र दिनांक 19.02.2025 से बिंदु क्रमांक - 4 के संबंध में वांछित जानकारी / स्पष्टीकरण चाहा गया है:-

बिंदु क्रमांक :- 4 - In the DSS analysis, it is observed that the coordinate N-22° 21' 19.83" E-77° 50' 49", Subway has been recently constructed which is in the proposed diversion area hence the concerned DFO shall inspect and submit a detailed report in the matter.

उपरोक्त बिंदु में उल्लेखित जी.पी.एस. रीडिंग का मौका स्थल निरीक्षण कर Subway का निर्माण आवेदित वन क्षेत्र में हुआ है अथवा रेल्वे लेण्ड में इस संबंध में जांच कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु निम्नानुसार वनमंडल स्तरीय समिति गठित की जाती है:-

- 1.- उपवनमंडलाधिकारी शाहपुर (सा.) - अध्यक्ष
- 2.- परिक्षेत्र अधिकारी भौरा (सा.) - सदस्य
- 3.- परिक्षेत्र सहायक धार, परिक्षेत्र भौरा (सा.) - सदस्य
- 4.- बीट गार्ड धार, परिक्षेत्र भौरा (सा.) - सदस्य

अतः उक्त गठित समिति भारत सरकार के पत्र दिनांक 19.02.2025 के बिंदु क्रमांक - 4 में उल्लेखित अनुसार मौका स्थल निरीक्षण कर जांच कर विस्तृत रिपोर्ट 02 दिवस के भीतर वनमंडल कार्यालय को प्रस्तुत करेंगी।

(नवीन गर्ग)

भा.व.से.

वनमंडलाधिकारी

उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

बैतूल, दिनांक/ 11/4/25

पृ.क्रं./मा.चि./2025/ 2596

- प्रतिलिपि :-
- 1.- उपवनमंडलाधिकारी शाहपुर (सा.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
 - 2.- परिक्षेत्र अधिकारी भौरा (सा.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
 - 3.- परिक्षेत्र सहायक/बीटगार्ड धार, परिक्षेत्र भौरा, उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमंडलाधिकारी

उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

पंचनामा

पृष्ठ-3
स्थान

धार कीट गुजरात 157

दिनांक

हम पंच गण दस्तावेज माने वाले इस बात की तटदीक करते हैं
कि आज दिनांक 01/01/2025 को भी मान वन भण्डार अधिकारी महोदय उमर
वैकुण्ठ (सा) शिवाजी वन भण्डार अधिकारी : शाहपुर (सा) की वन परिधेय अधिकारी
मोसा (सा) प. ल. धा. 10 एवं परिधेय 2000 अभियन्ता वैकुण्ठ साय 28 मठ
वैकुण्ठ के क्षेत्रांतर्गत (नर्मदापुरम) पुष्पापुर के बेटियागोटे दिनांक
01/01/2025 को मोसा स्थलमा समुच्च निरीक्षण किया गया मोसा स्थल
उत्तर दिशा में जमीनी एवं अ. 22' 21' 13' 85" E 77' 56' 49" पर पट्टा न. 10 स्थल
निरीक्षण किया गया कुयती बेलव लाइन सहित पट्टी के दोनों ओर subby- तथा
दोनों पट्टा भागों में जोड़ी 58 मी तथा subby से दोनों पट्टा पट्टा भागों
में जोड़ी कुयती बेलव पट्टी सहित 57.9 मीटर तथा बेलव पट्टी के
पूर्व दिशा के पट्टा भागों के जंरमिठ से 4 मी वन क्षेत्र के जोड़ तथा
दोनों पट्टा पट्टा भागों के पट्टा भागों के जंरमिठ से 6.4 मीटर वन
क्षेत्र के जोड़ निरीक्षण किया गया

पंचनामा निरीक्षा पट्टा कुयती लक्षी पाया गया

पंचनामा के ह. ल. 10

पंचनामा, मोसा शाह निरीक्षण गया

ठाई गेज तथा वाक्य के
वाटर ड्रेनिंग वाल में Timin
curve के लिए आवश्यक पत्र

Amurstan

विनय कुमार श्रीवास्तव

SSE (M) BZ

3-5-25

पंचनामा

विनय कुमार श्रीवास्तव

S.S.E (G). C. B. A. A. A. A. A.

नवीन गज
DFO N. Betul

6DD Shahpur

Sanjay
कीर्तन कुमार
संलग्न 21/01

प्रदर्श-4

कार्यालय वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

07141-234204(कार्यालय), E-Mail -- dfotnbtul@mp.gov.in

क्रमांक/मा0चि0/2025 / 367)

बैतूल, दिनांक/ 7-5-25

प्रति,

उप मुख्य अभियंता,
(निर्माण) सेंट्रल रेल्वे नागपुर डिवीजन,
बैतूल

विषय :- बैतूल एवं होशंगाबाद (नर्मदापुरम) जिले में जुझारपुर से ढोढरामोहार के मध्य तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु वनमंडल की 1.2496 हे. वनभूमि एवं होशंगाबाद वनमंडल की 6.7861 हे. कुल 8.0357 हे. वनभूमि सेंट्रल रेल्वे नागपुर डिवीजन बैतूल को उपयोग पर देने बाबत । प्रकरण क्रमांक / FP/MP/RAIL/150074/2021

संदर्भ :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ- 5/1211/ई- 0107/2025 दिनांक 23.02.2025

--00--

विषयांतर्गत लेख है कि अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल संदर्भित पत्र द्वारा संलग्न भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक / 6- एमपीआर 027 / 2023 – बीएचओ दिनांक 19.02.2025 में उल्लेखित बिंदु क्रमांक – 4 की जानकारी चाही गई थी ।

बिंदु क्रमांक – 4 में उल्लेखित जी.पी.एस. रीडिंग का मौका स्थल निरीक्षण हेतु वनमंडल कार्यालय के आदेश क्रमांक / माचि./ 2025/02 दिनांक 11.04.2025 से उपवनमंडलाधिकारी शाहपुर (सा.) को अध्यक्ष नियुक्त करते हुये 03 सदस्यी समिति का गठन किया गया ।

दिनांक 03.05.2025 को मेरे द्वारा गठित समिति के साथ आपके विभाग के प्रतिनिधी वरिष्ठ खण्ड अभियंता बैतूल के साथ रहकर उक्त क्षेत्र का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान " पुरानी रेल्वे लाईन सहित पट्टी के दोनो ओर Subway तथा दोनो पहुंच मार्ग की चौड़ाई 58 मीटर तथा Subway के दोनो तरफ पहुंच मार्ग की चौड़ाई पुरानी रेल्वे पट्टी सहित 57.9 मीटर तथा रेल्वे पट्टी के पूर्व दिशा में पहुंच मार्ग के प्रारंभिक में 4 मीटर वनक्षेत्र के अंदर तथा दूसरी दूसरी तरफ पश्चिम दिशा में पहुंच मार्ग में प्रारंभ में 6.4 मीटर वनक्षेत्र में अंदर निर्माण होना पाया गया ।" जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन परिलक्षित होता है ।

निरीक्षण के दौरान आपके प्रतिनिधी द्वारा निर्माण रेल्वे विभाग के ROW अंतर्गत होना बताया गया परन्तु ROW के संबंध में कोई वैधानिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये है, ROW कब निर्मित हुआ है इसके प्रमाणीकरण के संबंध में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये है, साथ ही आपके द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव में संलग्न केएमएल फाईल में ROW का उल्लेख नहीं किया गया है, केवल आवेदित क्षेत्र का प्रस्ताव दिया गया है ।

अतः आप वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये ROW क्षेत्र के अंतर्गत नक्शे एवं भूमि के स्वामित्व से संबंधित वैधानिक दस्तावेज वनमंडल कार्यालय को 02 दिवस में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(नवीन गर्ग)

भा.व.से.

वनमण्डलाधिकारी

उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

बैतूल/दिनांक/ 7-5-25

पृ.क्र./मा.चि./2025/ 3072

प्रतिलिपि :-

1- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

2- वन संरक्षक बैतूल वृत्त बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।

वनमंडलाधिकारी

उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

पृष्ठ-5

09/05 Time 17:37

Central Railway

No.ET-NGP/3rd LINE/FOREST---

Office of the
Deputy Chief Engineer Const
Betul @ Nagpur
Email: dycecbzu@gmail.com
Dt: 08/05/2025

DM

Jm

19/5/25

To,
DFO North Betul

Sub: Diversion of 8.0357 Ha (1.2496 hect. DFO Betul North and 6.7861 hect. DFO Narmadapuram) forest land for construction of 3rd Railway line for the section, Itarsi-Nagpur Railway Line between Jujharpur to Dodramohar Proposal No. FP/ MP/ RAIL/150074/2021).

- Ref: 1) क्रमांक: मा0चि0/2025/3071 dt.07/05/2025
2) APCCF Office letter No. F-5/1211/E-0107/2025/23-02-2025.
3) This Office letter No. No.ET-NGP/3rd LINE/FOREST dt. 21/03/2025.

In connection with the above subject and the above-referenced, the remarks are as follows:

- Regarding the Violation of the Forest (Conservation) Act, 1980:**
The remarks pertain to the work already carried out by the Open Line Organization, Nagpur. The issue has been conveyed to the same organization, and their remarks will be submitted at the earliest.
- Regarding the Construction Already Done:**
The status remains the same as mentioned above, and the remarks from the above office will be furnished at the earliest.
- Regarding Submission of Legal Documents Related to ROW:**
It is to state that, as per the above-referred letter no. 3, the verified land plans, jointly prepared with the Revenue Department, were submitted to the office of the APCCF (Land Management), Van Bhavan, Bhopal, on 22/05/2024. (Xerox copy is attached).
- Regarding Submission of KML File Showing ROW:**
It is to state that, as per the above-referred letter no. 3, the EDS was closed on 26/03/2025. The option to add additional documents (KML of ROW for the project) was not available. However, the option was open for the other diversion proposal no. 419973/2023. The complete and required KML file, combined for all three proposed diversion proposals on the Parivesh portal, has been attached on 21/04/2025 for ready reference. The same will be uploaded for proposal no. 150074/2021 as and when the option to add documents becomes available.
- Request for Immediate Conveyance of FCA Violation Explanation:**
It is kindly requested that the issue of the violation of the Forest (Conservation) Act, 1980, be conveyed to the Open Line Organization of the Railways. The explanation received will be conveyed immediately.

(Sujit Kumar Singh)

Dy. CE (Const) Betul
@Nagpur



Central Railway

No ET-NGP/3rd LINE/FOREST-0

Office of the
Dy. Chief Engineer (Construction)
Betul @ Nagpur
Attn: Chunabhata, Nagpur-444003
Email - dycebzu@gmail.com

Date: 22.05.2024

To,
APCCF (Land Management)
Van Bhavan Bhopal

Sub. Diversion of 8.0357 Ha (1.2496 hect. DFO Belul North and 6.7861 hect. DFO Narmadapuram) forest land for construction of 3rd Railway line for the section of Itarsi-Nagpur Railway Line between Jujharpur to Dodramohar Proposal No. FP/MP/RAIL/150074/2021).

Ref: 1. Your office letter no. /सा.प.च. /4270Narmadapuramdt.06/05/24

.....
In connection with above subject and reference letter regarding item no. 1, the hard copies of land plans showing Railways own land and possession of it is being submitted to establish the fact that construction of both the existing Railway lines have been done in the Railway's ROW which was diverted before Implementation of FCA i.e year 1980.

Herewith it is stated that the submitted details are self explanatory showing the existing line constructed (during 1919 & 1986) on railways owned land within Railways right of way.

This is for your kind perusal and further necessary action please.

DA: 22 nos. of land plan drawings.

25-

25 nos of Land plan

SUJIT KUMAR
SINGH

Digitally signed by
SUJIT KUMAR SINGH
Date: 2024.05.22
16:24:06 +05'30'

Dy.CE(Const) Betul @ Nagpur



कार्यालय वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

07141-234204(कार्यालय), E-Mail -- dfotnbtul@mp.gov.in

क्रमांक/मा0चि0/2025 / 3362

बैतूल, दिनांक/ 20/05/25

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

(भू- प्रबंध) म.प्र. भोपाल

विषय :-

बैतूल एवं होशंगाबाद (नर्मदापुरम) जिले में जुझारपुर से ढोढरामोहार के मध्य तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु वनमंडल की 1.2496 हे. वनभूमि एवं होशंगाबाद वनमंडल की 6.7861 हे. कुल 8.0357 हे. वनभूमि सेन्ट्रल रेल्वे नागपुर डिवीजन बैतूल को उपयोग पर देने बाबत । प्रकरण क्रमांक / FP/MP/RAIL/150074/2021

संदर्भ :-

- 1.- आपका पत्र क्रमांक / एफ- 5/1211/ई- 0107/2025 दिनांक 23.02.2025
- 2.- उप मुख्य अभियंता, (निर्माण) सेंट्रल रेल्वे नागपुर डिवीजन, बैतूल का पत्र क्रमांक / ET-NGP/3rd Line/ Forest Date 08.05.2025

--00--

विषयांतर्गत निवेदन है कि आपके संदर्भित पत्र द्वारा संलग्न भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक / 6-एमपीआर 027 / 2023 – बीएचओ दिनांक 19.02.2025 में उल्लेखित बिंदु क्रमांक – 4 की जानकारी चाही गई थी ।

बिंदु क्रमांक – 4 में उल्लेखित जी.पी.एस. रीडिंग का मौका स्थल निरीक्षण हेतु वनमंडल कार्यालय के आदेश क्रमांक / माचि./ 2025/02 दिनांक 11.04.2025 से उपवनमंडलाधिकारी शाहपुर (सा.) को अध्यक्ष नियुक्त करते हुये 03 सदस्यी समिति का गठन किया गया ।

दिनांक 03.05.2025 को मेरे द्वारा गठित समिति के साथ आपके विभाग के प्रतिनिधी वरिष्ठ खण्ड अभियंता बैतूल के साथ रहकर उक्त क्षेत्र का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान " पुरानी रेल्वे लाईन सहित पट्टी के दोनो ओर Subway तथा दोनो पहुंच मार्ग की चौड़ाई 58 मीटर तथा Subway के दोनो तरफ पहुंच मार्ग की चौड़ाई पुरानी रेल्वे पट्टी सहित 57.9 मीटर तथा रेल्वे पट्टी के पूर्व दिशा में पहुंच मार्ग के प्रारंभिक में 4 मीटर वनक्षेत्र के अंदर तथा दूसरी तरफ पश्चिम दिशा में पहुंच मार्ग में प्रारंभ में 6.4 मीटर वनक्षेत्र में अंदर निर्माण होना पाया गया ।" मौके के पंचनामा की छायाप्रति एवं नजरिया नक्शा संलग्न है ।

उपरोक्त निरीक्षण के दौरान रेल्वे विभाग के उपस्थित प्रतिनिधी द्वारा उक्त निर्माण कार्य रेल्वे विभाग के ROW के अंतर्गत होना बताया गया, किन्तु इस संबंध में मौके पर कोई वैधानिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये । तदनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ माचि./ 2025/ 3071 दिनांक 07.05.2025 से आवेदक विभाग को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये ROW क्षेत्र के अंतर्गत नक्शे एवं भूमि के स्वामित्व से संबंधित वैधानिक दस्तावेज वनमंडल कार्यालय को 02 दिवस में उपलब्ध कराये जाने हेतु लेख किया गया । आवेदक विभाग के संदर्भित पत्र दिनांक 08.05.2025 से प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार कोई वैधानिक

अभिलेख वनमंडल कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराये गये हैं एवं लेख किया गया है कि Open Line Organization of the Railway इस संबंध में पृथक से अवगत करायेगे।

वनमंडल कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख (आर.एफ. एरिया रजिस्टर) में आरक्षित वनखंड 17 सालीमेट में निम्नानुसार टीप उल्लेखित है:-

"Area covered by the Itarsi-Betul Public Works Department road and Itarsi- Napur section of the G.I.P. Railway line passing through this block was disforested under Notification No. 1324, dated the 15th January 1907, and No. 12, dated the 8th January 1910, respectively, and is, therefore, not included in the figure."

उपरोक्त टीप के अतिरिक्त आर.एफ. एरिया रजिस्टर 24.180 एकड़ (9.783 हे.) रकबा सेन्ट्रल रेल्वे हेतु निर्वनीकृत भूमि होना उल्लेखित है। आर.एफ. एरिया रजिस्टर में संलग्न मानचित्र (स्केल 1 इंच = 2 Mile) में निर्वनीकृत रेल्वे लाईन को नहीं दर्शाया गया है।

उपरोक्तानुसार वनमंडल के अंतर्गत उपलब्ध अभिलेखों से रेल्वे लाईन के ROW की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है।

प्रतिवेदन सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(नवीन गर्ग)

भा.व.से.

वनमंडलाधिकारी

उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

बैतूल/दिनांक/ 20/05/25

पृ.क्र./मा.चि./2025/ 3363

प्रतिलिपि :-

वन संरक्षक बैतूल वृत्त बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।

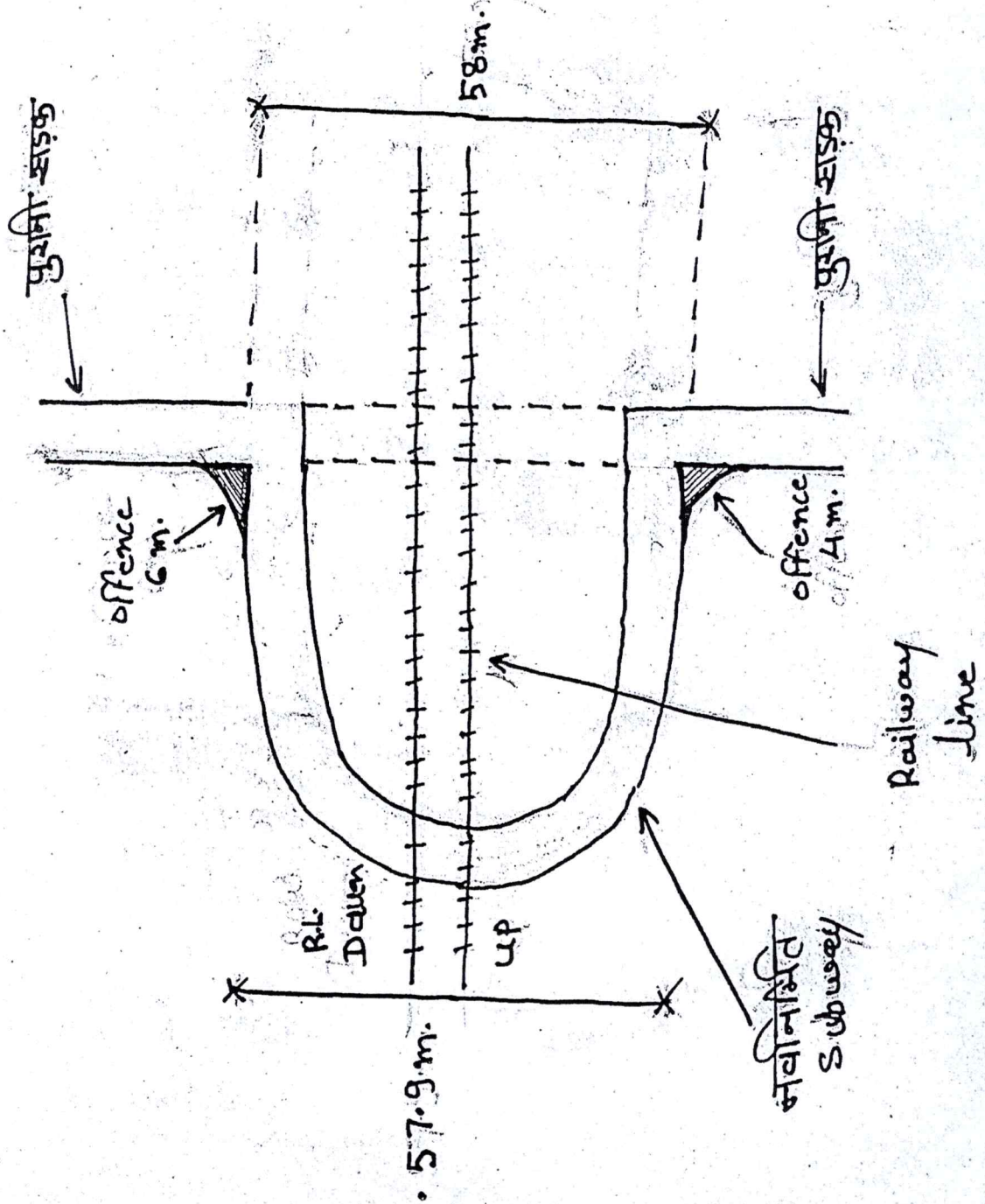
संलग्न :-

उपरोक्तानुसार।

वनमंडलाधिकारी

उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

नजरिया नक्शा



पंचनामा

स्थापन धार कीट नमूना 157
दिनांक

हम पंच गण दस्तावेज माने वाले इस बात की तयारी करते हैं
कि आप दिनांक 01/01/25 को भी मान वन भण्डार अधिकारी मध्ये उक्त
वेबल (सा) गिरुप वन भण्डार अधिकारी - शाहपुर (सा) की वन परिषद अधिकारी
मौस (सा) का सहायक एवं परिषद के सदस्य के रूप में सहायक
वेबल के दस्तावेज (नमूनापुस्तक) पुष्पापुर के गेदरमोघर दिनांक
01/01/2025 को मौस स्थल का समुचित निरीक्षण किया गया जो स्थल
उत्पत्ति के निम्नलिखित अ. 22' 21' 13" 85" E 77' 56' 49" पर पुरुष नर स्थल
निरीक्षण किया गया उसी स्थल का दृष्टि पट्टी के दोनो ओर subby तथा
दोनों पुरुष भाग की चौड़ाई 58 मी तथा subby से दोनो पक्ष पुरुष भाग
की चौड़ाई कुल के स्थल पट्टी वही 57.9 मीटर तथा स्थल पट्टी के
पूर्व दिशा के पुरुष भाग के अंतरिक्ष में 4 मी वन क्षेत्र के अंतर तथा
दूसरी तरफ पश्चिम दिशा के पुरुष भाग के अंतरिक्ष में 6.4 मी वन
क्षेत्र के अंतर निर्धारित किया गया।

पंचनामा निम्न प्रकार सुनाया लक्ष्य पाया गया

पंचनामा के हवाले

पंचनामा, भौत दाय निराला गया

हाइट गेज तथा वाक्य के
सह रीनिंगवाल में Tumim
कार के निम्न आवश्यक पत्र

Humantars

विनय कुमार श्रीवास्तव
SSE (M) BZU

3-5-25

पंचनामा

नमूना
नमूना गण
DFO N Betul

usmyh
SDD Shikhar

संयोजक
संयोजक
संयोजक

विनय कुमार श्रीवास्तव
S.S.E (G) C. B. A. A. A. A.

5421-7

ESS

Central Railway



No.ET-NGP/3rd LINE/FOREST---

Office of the
Deputy Chief Engineer Const.
Betul @ Nagpur
Dt: 30/07/2025

To,
DFO Narmadapuram

Sub: Diversion of 8.0357 Ha (1.2496 hect. DFO Betul North and 6.7861 hect. DFO Narmadapuram) forest land for construction of 3rd Railway line for the section, Itarsi-Nagpur Railway Line between Jujharpur to Dodramohar Proposal No. FP/ MP/ RAIL/150074/2021).

- Ref:** 1) APCCF Bhopal Letter No. एफ-5/1211/E-0107/2025 dated 16/07/2025.
2) This office Letter No. ET/NGP/3rd Line/WLC dated 13/05/2025.
3) This office Letter No. ET/NGP/3rd Line/Forest--- dated 21/03/2025.
4) This office Letter No. ET/NGP/3rd Line/Forest--- dated 08/05/2025.
5) DFO North Betul Letter No. मा.चि. /2025/3362 dated 20/05/2025.

In connection with the above subject the recent EDS raised by your office on 29/07/2025 for the point wise submission regarding the letter issued by Govt. of India 08/07/2025 and vide above Reference No. 1.

The point-wise remarks as under.

Point No. 1: - The area proposed for NBWL clearance for critical zone is total 287.64 hect. with breakup as 132.7 hect. for Tiger corridor no 1, 47.56 hect for Eco-Sensitive zone and 102.81 hect for Tiger corridor no 2 which is affecting the critical zone length of 9.76 km, 2.79 km and 4.792 km respectively along the 3rd and 4th line project (above ref. 03)

The Diversion of Forest land is proposed under 03 Nos of different proposals as 1st proposal for 8.0357 hect., 2nd proposal for 3.6122 hect and 3rd proposal for 21.3983 hect Forest area. In this matter, it is explained that the issue of need for Wildlife Clearance arose when 1st proposal scrutinized at Govt. of India Bhopal, but meanwhile Railway has applied 02 new proposals for the same 3rd Railway line project between Jujharpur, (Km 751.1) to Chichonda (Km 911.7) section of length 168.6 km. As two tiger corridors and one Eco-Sensitive Zone are falling within this section covering total length of 9.767km, 2.79km and 4.792km respectively and this total length of critical zone 17.35km is passing through the Railways ROW which is worked out as 287.64 hect.

As the 3rd and 4th line project is linear & continues and bifurcating the above mentioned critical zone of STR and MTR the Wildlife Clearance is mandatory for entire length of project that in 168.6km.

Hence in the light of above fact, in spite of going for Wildlife Clearance for each diversion proposal separately the total area for NBWL is proposed as 287.64 hect jointly for all the three diversion proposals (vide ref 2 as above).

Point No. 2: - Regarding the ownership of railway land within the forest area that has not been included in the diversion proposals, the certified land plan of Railways owned land were prepared and jointly duly got certified by concerned Revenue authorities during 2007-2009. For all the locations where the

[Handwritten signature]

Forest patches are falling in the Railways owned land, for all three diversion proposals, kindly observe the 25 Nos of xerox copies of these certified land plans, (as above ref 4 dt. 08/05/2024) which were submitted as a proof of Railways ownership (sample Xerox copy of land plan is attached for example).

The Railways land plans consist of varying width of ROW, are marked with proposed Diversion patches which are planned as per toe width required for proposed 3rd line construction and where the sufficient land width is available no diversion proposal made and hence tried to minimize the loss of Forest.

As per available information, for the complete section for which the diversion proposals are applied the Railways ROW which is submitted through above mentioned 25 Nos of xerox copies of land plans is acquired up to year 1919, that is during British Era and since then no further land diversion has been done for Railways for which diversion records can be submitted for your further reference.

The above issue with, as an example is self-explanatory by the caption quoted by DFO, North Betul (copied and pasted below) during the report for his DSS analysis vide Letter as above reference no 5.

"Area covered by the Itarsi-Betul Public Works Department road and Itarsi-Nagpur section of the G.I.P. Railway line passing through this block was disforested under Notification No. 1324, dated the 15th January, 1907, and No. 12, dated the 8th January 1910, respectively, and is, therefore, not included in the figure."

The above mentioned notification No. 12, 8th January 1910 is clearly establishing the ownership of the Railway Department (which was at that time called Great Indian Peninsula Railway Company) over the said forest block area.

Point No. 3: - Regarding the violation of the Forest Conservation Act, 1980, for the construction of the subway, it is to state that the subway was constructed under the policy of eliminating existing level crossing gates, which are considered critical accident-prone zones for Railway traffic. Further, it is to convey that the existing road has been passing through the forest area for a long time, and in order to provide a diversion road as a subway, it is required to bend it at 90 degrees at four locations to accommodate it within the existing marginal Railway Right of Way (ROW).

However, these sharp bends at all four locations are accident-prone. To facilitate smooth traffic movement at these bends, it is standard practice to provide extra curvature. During this exercise, aimed at ensuring subway traffic safety, the boundary of the forest may have been unknowingly encroached upon, as there was no clear physical demarcation between forest and Railway land due to the presence of similar old vegetation and topography in the area.

As such the slight unknowing violation is observed while construction of the said subway and Railway has no further explanation regarding this issue.

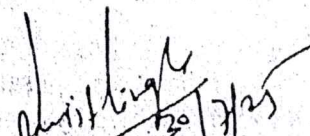
This fact has been brought out during DFO North Betul visit on 03/05/2025 and accordingly Divisional authorities of Central Railway Maintenance Department have been informed.

Hence with the above compliances EDS has been closed for your further kind perusal please.

Da as above.

Copy to,

- 1) APCCF Bhopal land management for kind information please.
- 2) DFO North Betul for kind information please.


Dy. CE (Const.) Betul

कार्यालय वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

07141-234204(कार्यालय), E-Mail -- dfotnbtul@mp.gov.in

क्रमांक/मा0चि0/2025 / 1344

बैतूल, दिनांक/ 13/08/2025

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल

विषय :-

बैतूल एवं होशंगाबाद (नर्मदापुरम) जिले में जुझारपुर से ढोढरामोहार के मध्य तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु वनमंडल की 1.2496 हे. वनभूमि एवं होशंगाबाद वनमंडल की 6.7861 हे. कुल 8.0357 हे. वनभूमि सेंट्रल रेल्वे नागपुर डिवीजन बैतूल को उपयोग पर देने बाबत । प्रकरण क्रमांक / FP/MP/RAIL/150074/2021

संदर्भ :-

- 1- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक / 6 एमपीआर 027 / 2023 – बीएचओ दिनांक 08.07.2025
- 2- आपका पत्र क्रमांक / एफ- 5 / 1211 / ई- 0107 / 2025 दिनांक 16.07.2025
- 3- मुख्य अभियंता (निर्माण) सेंट्रल रेल्वे नागपुर डिवीजन बैतूल के पत्र क्रमांक / ET-NGP/3rd Line/Forest date 30.07.2025
- 4- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक / माचि. / 2025 / 3362 दिनांक 20.05.2025

--00--

विषयांतर्गत इस कार्यालय के संदर्भित पत्र के तारतम्य में निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल के पत्र दिनांक 08.07.2025 के बिंदु क्रमांक – 3 के संबंध में मुख्य अभियंता (निर्माण) सेंट्रल रेल्वे नागपुर डिवीजन बैतूल के संदर्भित पत्र दिनांक 30.07.2025 से जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसमें रेल्वे विभाग द्वारा सबवे निर्माण के दौरान अंजाने में उल्लंघन होना लेख किया गया है और इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं है यह भी रेल्वे विभाग द्वारा लेख किया गया है।

अतः रेल्वे विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की छायाप्रति अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(नवीन गर्ग)

भा.व.से.

वनमंडलाधिकारी

उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

बैतूल, दिनांक/ 13/08/2025

पृ.क्र./मा.चि./2025 / 1345

प्रतिलिपि :-

- 1- वन संरक्षक बैतूल वृत्त बैतूल की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
- 2- मुख्य अभियंता (निर्माण) सेंट्रल रेल्वे नागपुर डिवीजन बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनमंडलाधिकारी

उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

कार्यालय वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

07141-234204(कार्यालय), E-Mail -- dfotnbtul@mp.gov.in

क्रमांक/मा0चि0/2025 / 6760

बैतूल, दिनांक/14/10/2025

प्रति,

मुख्य अभियंता (निर्माण)
सेंट्रल रेल्वे नागपुर डिवीजन बैतूल

विषय :- बैतूल एवं होशंगाबाद (नर्मदापुरम) जिले में जुझारपुर से ढोढरामोहार के मध्य तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु वनमंडल की 1.2496 हे. वनभूमि एवं होशंगाबाद वनमंडल की 6.7861 हे. कुल 8.0357 हे. वनभूमि सेंट्रल रेल्वे नागपुर डिवीजन बैतूल को उपयोग पर देने बाबत। प्रकरण क्रमांक / FP/MP/RAIL/150074/2021

- संदर्भ :-
- 1- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक / 6 एमपीआर 027/2023 — बीएचओ दिनांक 08.07.2025
 - 2- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. का पत्र क्रमांक / एफ- 5/1211 / ई- 0107/2025 दिनांक 16.07.2025
 - 3- आपका पत्र क्रमांक / ET-NGP/3rd Line/Forest date 30.07.2025

--00--

विषयांतर्गत इस कार्यालय के संदर्भित पत्र के तारतम्य में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल के पत्र दिनांक 08.07.2025 के बिंदु क्रमांक — 3 के संबंध में आपके संदर्भित पत्र दिनांक 30.07.2025 से जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसमें रेल्वे विभाग द्वारा सबवे निर्माण के दौरान अंजाने में उल्लंघन होना लेख किया गया है और इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं है यह भी आपके द्वारा लेख किया गया है।

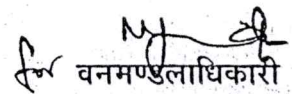
पूर्व निरीक्षण के दौरान कोई वैधानिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये है, साथ ही आपके द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव में केएमएल फाईल में ROW का उल्लेख नहीं किया गया है, केवल आवेदित क्षेत्र का प्रस्ताव दिया गया है।

अतः आप ROW क्षेत्र के अंतर्गत नक्शे एवं भूमि के स्वामित्व से संबंधित वैधानिक दस्तावेज वनमंडल कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

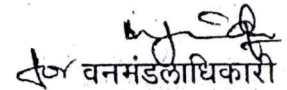
पृ.क्रं./मा.चि./2025 / 6761

प्रतिलिपि :-

- 1- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
- 2- वन संरक्षक बैतूल वृत्त बैतूल की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

 वनमंडलाधिकारी

उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल
बैतूल, दिनांक/14/10/2025

 वनमंडलाधिकारी

उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

Central Railway

No.ET-NGP/3rd LINE/FOREST---

Office of the
Deputy Chief Engineer Const.
Betul @ Nagpur
Email: dycecbzu@gmail.com
Dt: 17/12/2025

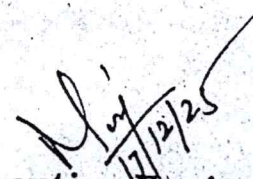
To,
The DFO,
Betul North (Territorial)

Sub: Diversion of 8.0357 Ha (1.2496 hect. DFO Betul North and 6.7861 hect. DFO Narmadapuram) forest land for construction of 3rd Railway line for the section, Itarsi-Nagpur Railway Line between Jujharpur to Dodramohar Proposal No. FP/ MP/ RAIL/150074/2021).

Ref: आपके कार्यालयीन पत्र क्रमांक माची/2025/3362, बैतूल, दिनांक 20/05/2025.

In connection with the above subject and in compliance with your office letter dated 20/05/2025, it is submitted that a Level Crossing Gate (LC Gate) of the Railway Department is located in Dhar Beat R.F. 157 at coordinates 22°21'19.85" North Latitude and 77°50'49" East Longitude, bearing LC Gate No. 235C-2-E. In connection with the said violation, the records/documents sought by your office from the Railway Department are enclosed herewith and are being forwarded for your kind perusal and necessary further action.

D.A. / Enclosure: Land records of the Railway Division.


Executive Engineer
construction Betul-II

